प्रेस विज्ञप्ति

13/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त करने, उपयोग करने एवं परतन से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 11.08.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 04/2026 के माध्यम से लगभग 36.47 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा बी-सेक्टर, नाहरलागुन, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड शामिल है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता के तहत मेसर्स अमित ट्रेडर्स एवं अन्य के विरुद्ध अन्वेषण ब्यूरो (आर्थिक अपराध) पुलिस थाना, गुवाहाटी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच आरंभ की। जांच से पता चला कि मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तुओं अथवा सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति किए बिना काल्पनिक चालानों के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये का आईटीसी कपटपूर्ण तरीके से सृजित किया, जिसे अस्तित्वहीन संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से परतन कर विभिन्न अनुवर्ती लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया।

मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज ने वस्तुओं अथवा सेवाओं की किसी वास्तविक अंतर्निहित आपूर्ति के बिना काल्पनिक शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से लगभग 41.43 करोड़ रुपये का कपटपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सृजित किया। तत्पश्चात उक्त फर्जी आईटीसी का लाभ मौजूदा अनुवर्ती लाभार्थियों द्वारा उठाया गया, जिनमें याल्पु एंटरप्राइज (प्रो.: टाटुम टेली कॉमदिर, 47.01 लाख रुपये), ज़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन (प्रो.: श्रीमती लिखा नाप, 25.03 लाख रुपये) तथा एंजेला एंटरप्राइजेज (प्रो.: श्रीमती कोटू बुई, 10 लाख रुपये) शामिल हैं।

वर्तमान कुर्की में मेसर्स सन फोर्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि शामिल है, जिसे दागदार निधियों से प्रत्यक्ष रूप से मेल खाने (ट्रेसेबल) के कारण अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में कुर्क किया गया है, साथ-ही-साथ टाटुम टेली कॉमदिर (प्रो.: मेसर्स याल्पु एंटरप्राइज), श्रीमती कोटू बुई (प्रो.: मेसर्स एंजेला एंटरप्राइजेज) तथा श्रीमती लिखा नाप (प्रो.: मेसर्स ज़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन) द्वारा धारित बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि एवं अचल संपत्ति को उनके संबंधित

प्रतिष्ठानों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त एवं उपयोग की गई अपराध की आय के मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है।

इससे पूर्व, इसी मामले में ईडी ने लगभग 3.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पीएमएलए की धारा 8 के तहत की जा चुकी है तथा पीएमएलए की धारा 3 एवं 4 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी। वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का संचयी मूल्य लगभग 3.66 करोड़ रुपये हो गया है।

आगे की जांच जारी है।